

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 2696/2025

1. Tejveer Son Of Satyaveer, Resident Of Kaurer, Police Station Deeg Sadar, Bharatpur. (Presently Accused Appellant Confined At Central Jail Sesar, Bharatpur)
2. Manoj @ Shera Son Of Mahaveersingh, Resident Of Kasaut, Police Station Deeg Sadar, Presently Resident Of Subhash Nagar, Police Station Kotwali, Bharatpur. (Presently Accused Appellant Confined At Central Jail Sesar, Bharatpur)

----Appellants

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Appellant(s)	: Mr. Rahul Sinsinwar, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

04/05/2026

1. In S.B. Criminal Appeal No. 2696/2025

प्रकरण छह सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जावे।

2. In S.B. Criminal Misc. (SOS) Appl. No. 2017/2025

प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से धारा 430 बीएनएसएस के अंतर्गत प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

प्रार्थी-अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या-2, भरतपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 04/2023 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 08.09.2025 के माध्यम से धारा 341, 323/34, 307/34 भा.दं.

सं. व धारा 3/25 आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित करते हुए अधिकतम सात वर्ष के **साधारण** कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का निवेदन है कि प्रार्थी-अभियुक्त निर्दोष हैं तथा उसे प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, दोषसिद्धी हेतु पत्रावली पर कोई सुदृढ साक्ष्य नहीं रही है, **दौराने अन्वीक्षा जमानत पर था**, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अपील में अभियुक्त के दोषमुक्त होने की पूर्ण संभावना है, करीब 09 माह से अभिरक्षा में है, अन्त में सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए योग्य लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री, सुदृढ साक्ष्य आदि को देखते हुए सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

यद्यपि अभियुक्त का चार आपराधिक प्रकरणों का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन वे जघन्य एवं गंभीर अपराध से संबंधित नहीं हैं। प्रकरण में फायर आर्म्स की कोई चोट नहीं है। अभियुक्त तेजवीर से प्रार्थी का मामला भिन्न है।

प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अपीलार्थी द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, प्रस्तुत अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों, अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी-अभियुक्त **मनोज उर्फ शेराम पुत्र महावीर सिंह** की ओर से विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण अर्थदण्ड की राशि विचारण न्यायालय में जमा कराये जाने की शर्त पर स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि वह इस न्यायालय में **दिनांक 04.06.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु **एक लाख रुपये** का बंधपत्र एवं **पचास-पचास हजार रुपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं **विद्वान**

विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांकित 08.09.2025 के तहत कारावास के संबंध में दिये गये दण्डादेश का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /63